न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं० 10, फैजाबाद ।

सत्र परीक्षण वाद सं० 795/2009

राज्य बनाम गुड्डू सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह आदि ।

17-03-2021

पुकारा गया ।

अभियुक्तगण गुड्डू उर्फ राजेन्द्र सिंह एवं सुशील कुमार सिंह उपस्थित । शेष अभियुक्तगण का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र जरिए अधिवक्ता स्वीकृत किया जाता है ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विद्वान अधिवक्ता बचाव-पक्ष उपस्थित हैं ।

अभियोजन साक्षी सं० 11 दिनेश चन्द्र मिश्र, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, लखनऊ साक्ष्य हेतु उपस्थित हैं ।

अभियुक्त पक्ष की तरफ से 364-ब प्रार्थनापत्र सारतः प्रस्तुत सत्र परीक्षण एवं सत्र परीक्षण सं० 249/2009 राज्य बनाम संजय सिंह का एकसाथ विचारण करने हेतु दिया गया है । पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही सत्र परीक्षण एक ही अपराधांक से संबंधित है । विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है । 364-ब प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

364-ब प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है । प्रस्तुत सत्र परीक्षण 795/2009 राज्य बनाम गुड्डू सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह आदि एवं सत्र परीक्षण सं० 249/2009 राज्य बनाम संजय सिंह एकजाई की जाती है । प्रस्तुत सत्र परीक्षण सं० 795/2009 राज्य बनाम गुड्डू सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह आदि लीडिंग पत्रावली होगी । इस आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण सं० 249/2009 राज्य बनाम संजय सिंह की पत्रावली पर रखी जाये ।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 10,
फैजाबाद ।

375-ब प्रार्थनापत्र विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तरफ से प्रस्तुत करते हुए सत्र परीक्षण 795/2009 राज्य बनाम गुड्डू सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह आदि एवं सत्र परीक्षण सं० 249/2009 राज्य बनाम संजय सिंह एकजाई किये जाने पर सारतः इस आशय का दिया गया है कि अभियोजन साक्षी सं० 3 लगायत 11 के बयान के समय कुछ अभियुक्त मुकदमा लम्बित न होने के कारण उनसे प्रति-पृच्छा नहीं की जा सकी है अतएव अभियोजन साक्षी सं० 3 लगायत 11 को पुनः परीक्षित कराये जाने हेतु अनुमति चाही गयी है । अभियुक्त-पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गयी है । न्यायहित में 375-ब प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

375-ब प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है । अभियोजन साक्षी सं० 3 लगायत 11 पुनः परीक्षा हेतु जरिए समन तलब हों । अभियोजन साक्षी सं० 11 न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हैं, उनका साक्ष्य अंकित किया जाये ।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 10,
फैजाबाद ।